राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दूरभाष सं0 0522–2720387, फैक्स : 2720766

e-Mail : ad.mandipar@gmail.com

पत्रांक: विप0–3/2020–930 दिनांक: 20 – मार्च, 2020

समस्त अनुभाग अधिकारी
मण्डी परिषद मुख्यालय।

विषय : **कोरोना वायरस (COVID-19) के रोकथाम के सम्बन्ध में।**

आप अवगत हैं कि उपयुर्क्त विषयान्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशानुक्रम में परिषद पत्रांक: विप0–3/2020–915, दिनांक 18.03.2020 द्वारा मण्डी परिषद/मण्डी समितियों के फील्ड अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके है तथा पत्रांक: अ0नि0कैम्प/2020–2011, दिनांक 19.03.2020 द्वारा मुख्यालय के स्टाफ व अन्य बाहरी आगन्तुकों आदि के सेनेटाईजेशन के विषय में प्रबन्ध किए गए हैं।

कोरोना वायरस (COVID-19) के रोकथाम के निमित्त आप सभी से यह भी अपेक्षा है कि :–

1– यह सुनिश्चित कराएं कि प्रसाधनों (Toilets) में रखवाए गए हैण्डवाश तथा अनुभागों में उपलब्ध कराए गए सेनेटाइजर्स का समुचित उपयोग किया जाए तथा उनका अनावश्यक दुरुपयोग न हों।

2– आप स्वयं सजग होकर यह प्रयास करें कि आपके अनुभाग में कार्यरत समस्त कार्मिक कोरोना संक्रमण की गम्भीरता से भिज्ञ हों तथा संवेदनशील रहें। उचित होगा कि अपने स्तर से अनुभाग के सभी पटल सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को व्यक्तिगत रूप से संवेदनशील करें।

3– यथासम्भव कार्यालय परिसर में अनावश्यक आवागमन न किया जाए।

4– अनुभाग से उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत की जाने वाली पत्रावलियों के संचरण के पूर्व सम्बन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मी के हस्त पृच्छालन एवं सेनेटाईजेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

आपसे सभी से पुनः अपेक्षा है कि मात्र स्वयं के सावधानीपूर्वक कार्य करने करने से ही कोरोना वायरस की रोकथाम नहीं होगी अपितु आपके कार्यक्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी न किसी कारण से आपके व हमारे संपर्क में आता है, के द्वारा सुरक्षा उपायों का पूर्ण संवेदनशीलता के साथ अनुपालन किए जाने पर ही इसकी रोकथाम सम्भव है तथा इसी में हम सबका हित निहित है।

(कुमार विनीत)
अपर निदेशक (प्रशासन)

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : यथोक्त.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, मण्डी परिषद।

2– समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद मुख्यालय।

अपर निदेशक (प्रशासन)